



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

## कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरायफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) - 301001



दिनांक : 31/12/2020

क्रमांक : एफ18(34)एफसीए/उवसं-अल./2020/12605

निमित्त,

✓ श्रीमान मुख्य वन संरक्षक,

अरावली भवन, जयपुर।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 0.05 है0 फोरेस्ट लैण्ड फोर वॉटर सप्लाई स्कीम विलेज सौंखरी जिला अलवर

इन फेवर ऑफ PHED.

संदर्भ:- ऑनलाईन आवेदन FP/RJ/WATER/15016/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राज0 जयपुर से जारी EDS दिनांक 09.11.2020 की बिन्दुवार पालना निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है:-

क्र.सं.	EDS	पालना
1	KML of CA land , given by DCF in part of the proposal is written 0.05 ha. while it is actually for 0.50 ha.	उक्त प्रस्ताव 01 है0 से कम होने के कारण इसमें CA land की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा इसमें 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं दस वर्ष का रखरखाव वाली शर्त रोपित किया जाना उचित होगा।
2	DGPS map of CA land is not attached/upload.	उक्त प्रस्ताव 01 है0 से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
3	No marking of CA land on topo sheet is given by and no seal and signature of DCF on CA topo sheet.	उक्त प्रस्ताव 01 है0 से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
4	Gazete notification of forest land is not given.	उक्त वनखण्ड अवर्गीकृत है। राजस्व विभाग से प्राप्त खसरा नम्बर की चार्ज लिस्ट संलग्न है।(संलग्नक-01)
5	Detailed estimate of CA land is not given.	उक्त प्रस्ताव 01 है0 से कम होने के कारण इसमें 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं दस वर्ष का रखरखाव वाली शर्त रोपित किया जाना उचित होगा।
6	Calculation of penal NPV should be given.	प्रस्तावित वन भूमि 0.05 है0 के 10गुना पर वृक्षारोपण (0.50 है0 भूमि) हेतु 01 है0 से कम होने सके कारण इसमें 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं दस वर्ष का रखरखाव वाली शर्त रोपित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त ई.डी.एस की पूर्ती कर प्रस्ताव ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(ए.के. श्रीवास्तव)

उप वन संरक्षक,

अलवर

दिनांक :

उप वन संरक्षक,

अलवर

क्रमांक : एफ18(34)एफसीए/उवसं-अल./2020/

प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), अरण्य भवन, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

F:\my\fca\Letter fca288